भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.-2346
उत्तर देने की तारीख-15/12/2025

समग्र शिक्षा योजना के तहत विद्यालयों की स्थापना

2346. **श्री नीरज मौर्य:**
श्री देवेश शाक्य:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) पिछले पाँच वर्षों के दौरान देश में 'समग्र शिक्षा योजना' के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा राज्य-वार और वर्ष-वार कुल कितनी धनराशि जारी की गई है;
(ख) आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 6 और 7 के अनुपालन में विद्यालयों की स्थापना, उन्नयन और केंद्र तथा राज्यों के बीच व्यय साझेदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जा रही है;
(ग) उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में राज्य स्तर पर अपनी स्वयं की शिक्षा प्रणाली होने के मद्देनजर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के कार्यान्वयन के संबंध में केंद्र और राज्य के बीच समन्वय की स्थिति क्या है; और
(घ) पिछले पाँच वर्षों के दौरान आंवला लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और एटा-कासगंज लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत समग्र शिक्षा योजना पर कुल कितनी राशि व्यय की गई है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): विगत पांच वर्षों के दौरान समग्र शिक्षा के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए गए केंद्रीय भाग का ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है। समग्र शिक्षा के तहत केंद्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को चार किस्तों में निधियां जारी करती है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को व्यय की गति, संबंधित राज्य हिस्सेदारी की प्राप्ति, संपरीक्षित लेखे, बकाया अग्रिमों संबंधी विवरण, अद्यतित व्यय विवरण, विगत वर्ष के संपरीक्षित उपयोग प्रमाण पत्र और वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित अपेक्षित जानकारी तथा योजना के वित्तीय प्रबंधन और खरीद संबंधी मैनुअल के आधार पर निधियां जारी की जाती हैं। समग्र शिक्षा के तहत

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय भाग का आवंटन बजटीय प्रावधान के अनुसार किया जाता है, निधियां कार्य-वार जारी नहीं की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य समग्र शिक्षा के पीएबी के तहत अनुमोदन के आधार पर आवश्यकताओं के अनुसार निधियां जारी करता है।

आरटीई अधिनियम की धारा 6 में यह अनिवार्य किया गया है कि समुचित सरकार (राज्य के लिए राज्य सरकार तथा विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र के लिए संघ राज्य क्षेत्र सरकार) तथा स्थानीय प्राधिकारी को इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि के भीतर निर्धारित क्षेत्र या पड़ोस में एक स्कूल स्थापित करना होगा। धारा 7(1) में प्रावधान है कि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए निधियां उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की होगी। धारा 7(5) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य सरकार, उपधारा (3) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रदान की गई राशियों तथा उसके अन्य संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए निधियां उपलब्ध कराने हेतु उत्तरदायी होगी। आरटीई अधिनियम की धारा 8 (क) में यह अनिवार्य किया गया है कि समुचित सरकार (राज्य के लिए राज्य सरकार और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र के लिए संघ राज्य क्षेत्र सरकार) प्रत्येक बालक को नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराएगी। इस योजना के लिए केन्द्र और राज्यों के बीच फ़ंड शेयरिंग पैटर्न वर्तमान में 8 पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा एवं 3 हिमालयी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हेतु 90:10 के अनुपात में है तथा अन्य सभी राज्यों और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों (जम्मू और कश्मीर को छोड़कर) के लिए 60:40 अनुपात में है। यह विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों हेतु 100% केंद्र प्रायोजित है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को ग्राम पंचायतों, ब्लॉकों, शहरी स्थानीय निकायों, जिलों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों, माननीय संसद सदस्यों, जनता आदि सहित सभी हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श प्रक्रिया के बाद दिनांक 29.07.2020 को शुरू की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पैरा संख्या 27.1 के अनुसार, नीति के कार्यान्वयन के लिए अनेक पहलों और कार्यों की आवश्यकता होती है, जिन्हें कई निकायों द्वारा समन्वित और व्यवस्थित तरीके से किया जाना आवश्यक है। एनईपी 2020 इसके कार्यान्वयन के लिए अलग-अलग समयसीमा के साथ-साथ सिद्धांत और कार्यप्रणाली प्रदान करता है। तदनुसार, शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकारें, शिक्षा से संबंधित मंत्रालय, स्कूल और उच्चतर शिक्षा के नियामक और कार्यान्वयन निकाय जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/स्कूलों आदि ने एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के लिए कई पहलें की हैं।

इसके अतिरिक्त, शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के प्रशासनिक डोमेन में आते हैं। इसलिए, निर्धारित मानदंडों और मानकों का पालन करते हुए एनईपी 2020 के कार्यान्वयन की प्रमुख जिम्मेदारी संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के डोमेन में आती है।

उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त सूचना के अनुसार, आंवला संसदीय क्षेत्र में जिला बदायूँ का कुछ हिस्सा और बरेली का कुछ हिस्सा शामिल है। इसी प्रकार एटा-कासगंज संसदीय क्षेत्र में कासगंज का कुछ हिस्सा और एटा जिले का कुछ हिस्सा शामिल है। तथापि, यूपी में बजट का आवंटन जिला-वार किया जाता है। बरेली, बदायूँ, एटा और कासगंज जिलों का जिला-वार व्यय इस प्रकार है:

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	**जिला**	**वित्त वर्ष-2020-21**	**वित्त वर्ष 2021-22**	**वित्त वर्ष 2022-23**	**वित्त वर्ष 2023-24**	**वित्त वर्ष 2024-25**
1	बरेली	87.76	62.98	83.22	89.89	90.63
2	बदायूँ	75.15	62.66	75.29	86.90	87.15
3	एटा	40.44	30.43	50.65	48.56	48.29
4	कासगंज	34.90	30.80	36.10	43.06	39.76
	कुल	**238.25**	**186.87**	**245.26**	**268.40**	**265.83**

*****

अनुलग्नक

माननीय संसद सदस्य श्री नीरज मौर्य व श्री देवेश शाक्य द्वारा 'समग्र शिक्षा योजना के तहत विद्यालयों की स्थापना' के संबंध में दिनांक 15.12.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2346 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

विगत पांच वर्षों के दौरान समग्र शिक्षा के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी केंद्रीय हिस्से का ब्यौरा इस प्रकार है:

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4037.43	3152.32	5651.44	5527.59	6052.36
2	आंध्र प्रदेश	86975.09	68301.36	150359.02	128940.788	124010.57
3	अरुणाचल प्रदेश	33964.52	27996.24	25229.47	47503.49	57585.11
4	असम	159429.09	156156.40	208086.22	181046.93	202677.34
5	बिहार	282822.81	340608.45	355459.46	424173.08	421781.44
6	चंडीगढ़	7115.42	10804.09	10979.21	11636.31	11858.35
7	छत्तीसगढ़	35068.41	33236.78	82800	77659.06	83065.84
8	दादरा और नगर हवेली दमन और दीव	3493.77	2092.45	6466.66	4130.25	5462.64
9	दिल्ली	14926.44	14588.04	22193.92	14608.83	38539.03
10	गोवा	1788.38	1102.19	2985.77	1875.43	1633.61
11	गुजरात	97632.80	89375.71	132125.03	113253.16	124554.05
12	हरियाणा	74570.72	51709.18	67021.33	57880.24	53643.94
13	हिमाचल प्रदेश	49230.46	31910.05	55160.13	48596.96	52619.99
14	जम्मू और कश्मीर	38557.43	87398.83	36497.18	86543.88	82349.31
15	झारखंड	86561.21	85897.13	115451.63	110493.28	107444.41
16	कर्नाटक	61010.01	47451.63	86152.48	82808.79	86830.33
17	केरल	23838.59	22512.79	17815.99	14165.74	0.00
18	लद्दाख	5806.39	5717.55	1489.36	5222.63	13999.80
19	लक्षद्वीप	254.63	216.15	432.99	100.05	306.12
20	मध्य प्रदेश	246219.48	229279.75	193928.88	298151.13	343471.12
21	महाराष्ट्र	63559.58	69302.88	90000	100119.1	112624.52
22	मणिपुर	32364.84	18250.19	40475.7	25721.89	46559.15
23	मेघालय	28355.68	27171.38	37515.29	39418.22	36282.56
24	मिजोरम	18855.02	17968.14	14268.09	27414.06	21651.76
25	नागालैंड	21347.11	13734.16	28104.49	23125.34	21140.50
26	ओडिशा	130145.67	123807.39	183666.84	123660.69	167239.29
27	पुडुचेरी	972.44	1397.54	1527.52	1247.37	1246.03
28	पंजाब	53143.13	50127.01	60504.93	33111.65	67813.14
29	राजस्थान	225943.67	240582.13	213861.12	320289.45	309065.25
30	सिक्किम	6451.72	10012.46	10718.96	13260.51	12273.95
31	तमिलनाडु	162153.74	159882.18	210723.33	187615.54	0.00
32	तेलंगाना	34807.36	55327.91	114251.02	92012.79	98878.94
33	त्रिपुरा	40371.19	22692.81	28672.54	34132.90	42002.98
34	उत्तर प्रदेश	457185.61	204497.10	381975.27	427645.13	626479.22
35	उत्तराखंड	54149.33	32083.60	70438.94	44056.91	64678.27
36	पश्चिम बंगाल	132743.02	130974.48	152204.21	31129.41	0.00
	कुल	**2775852.19**	**2487318.45**	**3215194.42**	**3238278.58**	**3445820.90**